राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग/नर्स–2/भर्ती–2013/डी–5/2018/ दिनांकः

–:आदेश:–

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/सीधी भर्ती 2013/नर्स–2/2016/60 दिनांक 10.02.2016 के मेरिट क्रमांक 3878 पर अंकित श्री दिनेश कुमार पटेल पुत्र श्री गणपत लाल पटेल की नियुक्ति नर्स द्वितीय के पद पंर की जाकर इनका पदस्थापन प्रिसिंपल मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के अधीन किया गया था। तत्पश्चात निदेशालय के संशोधित आदेश क्रमांक 65 दिनांक 12.02.2016 के द्वारा इनका पदस्थापन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, डूंगरपुर के अधीन किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर ने अपने पत्र क्रमांक 1473 दिनांक 23.05.2017 के अनुसार श्री दिनेश कुमार पटेल पुत्र श्री गणपत लाल पटेल द्वारा प्रस्तुत जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र में आवेदक के विरूद्ध पुलिस सत्यापन में प्र0 स0 196/2003 धारा 420, 468, 467/120 बी आईपीसी में दर्ज होकर जरिये चार्जशीट नम्बर 290/2003 के द्वारा चालान न्यायालय में पेश किया गया जिसमे अभियुक्त श्री दिनेश पटेल को जुर्मधारा 467,468,471,417 व 120बी आईपीसी के आरोप मे दोष सिद्ध किया गया एवं धारा 465 आईपीसी के आरोप मे दोषमुक्त किया गया।

निदेशालय के पत्र क्रमांक 423 दिनांक 27.07.2017 के द्वारा अभ्यर्थी के कार्यग्रहण के समय पुलिस सत्यापन में उल्लेखित तथ्यो से अवगत कराने के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा गया जिसका प्रतिउत्तर संतोषजनक नही होने के कारण कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 31.12.1996 के बिन्दु संख्या 7(2) के अनुसार श्री दिनेश कुमार पटेल पुत्र श्री गणपत लाल पटेल के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने के उपरान्त भी कार्यग्रहण कराया गया है। जो कि नियमानुसार नही है। फलस्वरूप श्री दिनेश कुमार पटेल पुत्र श्री गणपत लाल पटेल नर्स द्वितीय के पद पर दिनांक 09.02.2016 के द्वारा किया गया चयन एवं 10.02.2016 के द्वारा की गई नियुक्ति/पदस्थापन एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

sd/-
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग/नर्स–2/भर्ती–2013/डी–5/2018/177 दिनांकः 11/05/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन–उदयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर को भेजकर लेख है कि कार्मिक को उक्त आदेश अविलम्ब सुपुर्द करवाकर कर्तव्य से कार्यमुक्त कर पालना रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, डूंगरपुर।
5. संबंधित कर्मचारी को पालनार्थ।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. आदेश रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर